प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' बयासी '

[8/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 4875]

न क्रमांक 1079

शासन द्वारा मान्यता प्राप्त

म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ

M.P. Class Three Govt. Employees Association

पत्र व्यवहार एवं निवास : एफ-6/22, चार इमली, भोपाल (म.प्र0)

अरूण द्विवेदी	टी.एस. मिश्रा	एल.एन. कैलाशिया	एडवोकेट राजेश व्यास
प्रान्ताध्यक्ष	उप प्रान्ताध्यक्ष	संरक्षक	मुख्य विधि सलाहकार
मो.09893720699	मो.09425008003	मो.09827234120	मो.09425004623

क्रमांक/ 61 /जी.ई.ए./2015

भोपाल, दिनांक 16/7/2015

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
होशंगाबाद संभाग-1, होशंगाबाद।

विषय:- शासकीय आवास सीट कमांक 41 (प्लाट कमांक-2) रेयर गार्ड रूम पर अवैध कब्जे के संबंध में।

महोदय,

—0—

हमारे संघ के विभागीय समिति अध्यक्ष द्वारा दिनांक 24/6/2014 को सूचना के अधिकार के तहत शासकीय आवास सीट कमांक 41 (प्लाट कमांक-2) रेयर गार्ड रूम, गुप्ता ग्राउंड के पास, नेहरू पार्क में वर्तमान में कौन रह रहा है कि जानकारी चाही गई थी। आपके द्वारा चाही गई जानकारी में संबंधित कर्मचारी की सर्विस बुक की छायाप्रति उपलब्ध करा दी गई एवं साथ ही आपके पत्र क.5387, दिनांक 21/07/2014 द्वारा यह लेख किया गया है कि रेयर गार्ड रूम (गोदाम) के आवंटन आदेश संबंधित अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण दिया जाना संभव नही है। ये बडे ही खेद का विषय है कि विभागीय आवास की नस्ती आपके कार्यालय में उपलब्ध नही है। आपके द्वारा दी गई जानकारी से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत से उक्त शासकीय रेयर गार्ड रूम (गोदान) की नस्ती को गायब कर दिया गया है।

महोदय आपसे अनुरोध है कि संघ के ध्यान में यह बात आई है कि उक्त शासकीय आवास को आधे से ज्यादा तोड़ दिया गया है और उस पर अवैध कब्जे की कार्यवाही की जा रही है। उक्त शासकीय आवास में की गई तोड़फोड़ के खिलाफ कार्यवाही करने का कष्ट करे एवं की गई कार्यवाही से संघ को भी अवगत करावें।

मुख्य सचिव, म.प्र. शासन के आदेश क्र. 313 (अ.शा.) दिनांक 1 मार्च 1973 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र एफ. 5-6-73 के अनुगामी आदेशानुसार संघ के पत्रों का उत्तर देना आवश्यक है।

आपके द्वारा उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नही की गई तो इसकी जानकारी से मा. कलेक्टर,होशंगाबाद,एस.डी.एम.होशंगाबाद,एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत करा दिया जायेगा एवं न्यूज पेपर में भी प्रकाशित किया जावेगा जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(मो.सलीम खान)
उप प्रान्ताध्यक्ष
म.प्र.तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ
मध्य प्रदेश,भोपाल

1079

(शासन द्वारा मान्यता प्राप्त)

म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ
M.P. Class III Govt. Employees Association

अरुण द्विवेदी
प्रांताध्यक्ष
मोबा. 98[illegible]20699

प्रांतीय कार्यालय
टी.टी. नगर कम्यूनिटी हॉल, भोपाल

राजेश व्यास (एडवोकेट)
विधिक सलाहकार
मोबा. 9825004623

दिनांक 24/8/2015

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-1
होशंगाबाद।

विषयः— शासकीय आवास सीट कमांक 41 (प्लाट कमांक—2) रेयर गार्ड रूम पर अवैध कब्जे के संबंध में।

संदर्भः— म.प्र.तृतीय वर्ग शा.कर्म.संघ का पत्र कमांक 61/2015,दिनांक 16/07/2015

—0—

महोदय,

कृपया विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। संघ के पत्र में शासकीय आवास सीट कमांक 41 (प्लाट कमांक—2) रेयर गार्ड रूम, गुप्ता ग्राउंड के पास, नेहरू पार्क के पीछे में वर्तमान में कौन रह रहा है कि जानकारी चाही गई थी जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

उक्त शासकीय आवास को तोड दिया गया है और उस पर अवैध कब्जे की कार्यवाही की जा रही है। उक्त शासकीय आवास में की गई तोड़फोड़ के खिलाफ कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से संघ को भी अवगत करावें।

आपके द्वारा उक्त प्रकरण में 15 दिवस के अंदर यदि कोई कार्यवाही नही की गई तो उक्त जानकारी से मा.कमिशनर,होशंगाबाद,मा.कलेक्टर,होशंगाबाद,एस.डी.एम.होशंगाबाद,एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया जायेगा एवं न्यूज पेपर में भी प्रकाशित किया जावेगा जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

सहपत्रः— 1.का.यं.होशंगाबाद का पत्र
2.छतिग्रस्त रेअर गार्ड रूम के दो छायाचित्र

(मो.सलीम खान)
उप प्रान्ताध्यक्ष

प्रतिलिपिः—

मुख्य अभियंता(राजधानी परिक्षेत्र)लोक निर्माण विभाग,निर्माण भवन,अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(मो.सलीम खान)
उप प्रान्ताध्यक्ष

24/8/15
o. The Chief Engineer PWD Capital Zone
No....................
Date..................
Nirman Bhawan,Bhopal